593 (4)

संख्या– 1 /XVIII-(2)/16-16(1)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2016**

विषयः– राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त विभिन्न ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुनर्वास हेतु निर्धारित पुनर्वास नीति 2011 के अनुरूप अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में वर्गीकृत ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–3096/स.नि./आपदा/2015–16, दिनांक 05 जनवरी, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्य के जनपदों में प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों के भूगर्भीय सर्वेक्षण 03 माह में सम्पन्न किये जाने हेतु ₹ 23.79 लाख (₹ तेइस लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी./निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। सम्बन्धित इकाई के द्वारा प्रथमतः अत्यधिक संवेदनशील ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य सम्पादन कराया जायेगा।
2. प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त गांवों/परिवारों का पुनर्वास/विस्थापन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण का कार्य शासनादेश संख्या–2063/XVIII-(2)/2011-16(1)/2007, दिनांक 19.08.2011 के माध्यम से जारी नीति/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सर्वेक्षण कार्य को 03 माह के अंतर्गत अन्तिम रूप दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व व्यय विवरण उपलब्ध कराय जायेगा, यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2016 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
5. व्यय करते समय बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि में इंगित नियमों तथा मितव्यता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा जैसे–जैसे सर्वे कार्य पूर्ण करते हुए वास्तविक व्यय के आधार पर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे, उसी सीमा के अंतर्गत अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. द्वारा सम्बन्धित विभाग को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का लेखा–जोखा अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. द्वारा नियमानुसार रखा जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80– सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–152 P/XXVII(5)/2015-16, दिनांक 24 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–489 (1)/XVIII-(2)/16-16(1)/2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6– अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
12– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
13– गार्ड फाइल।

24.2.2016

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव